



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 266 राँची, गुरुवार,

12 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

30 मई, 2025

आ०सं०:-07/नि०-07-01/2025 का० 3201--माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या-WP(S) No.-3511/2021 (सुनील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) तथा WP(S) No.-2825/2021 (सुनील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) वाद में दिनांक-04.04.2024 को पारित आदेश के क्रम में विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक-884 दिनांक-07.05.2025 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 15.05.2025 में मद संख्या 08 के रूप में निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है :-

“श्री सुनील कुमार, पिता श्री शिव शंकर प्रसाद एवं श्री सुनील कुमार, पिता श्री हनुमान सिंह की सेवा को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक (कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर वेतनमान (पी०बी०-1, वेतनमान-5200-20200 ग्रेड वेतन-1900 लेबल-2) पर नियुक्ति प्राधिकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव) से निर्गत नियुक्ति आदेश की तिथि से सेवा नियमितीकरण किया जाये। इस मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर LPA संख्या-387/2024 तथा LPA संख्या-402/2024 में पारित होने वाले न्याय निर्णय तथा अनुवर्ती विधिक कार्रवाई (यथा SLP आदि) से इनकी नियुक्ति एवं अन्य शर्त प्रभावित होगी ।”

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.05.2025 में मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृत उपर्युक्त प्रस्ताव के आलोक में श्री सुनील कुमार, पिता- श्री शिव शंकर प्रसाद (जन्म तिथि-07.06.1981, शैक्षणिक योग्यता-स्नातक) मोहल्ला मनी टोला, शिव मंदिर, पठार रोड, कटपूल के नजदीक, पोस्ट ऑफिस डोरन्डा जिला-राँची, झारखण्ड को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधीन कनीय सचिवालय सहायक (ग्रुप-सी/समूह-ग) के पद पर (वेतनमान PB-1, रु० 5200-20200 ग्रेड वेतन-रु० 1900/- पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix, Level-2, 19900-63200) के रिक्त पद पर नियुक्त करते हुए **योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची** में पदस्थापित किया जाता है।

3. श्री सुनील कुमार, पिता-श्री शिव शंकर प्रसाद की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रभावी मानी जायेगी :-

(क) झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के कनीय सचिवालय सहायक के लिए अनुमान्य वेतनमान PB-1, रु० 5200-20200, ग्रेड वेतन-सं० 1900 पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix, Level-2, 19900-63200) एवं अन्य अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

(ख) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(ग) उनकी नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान देना होगा अन्यथा निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं देने पर यह समझा जायेगा कि उन्हें इस पद पर योगदान नहीं देना है तथा ऐसी स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(घ) योगदान के समय मूल रूप में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, उम्र के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र एवं असैनिक-शल्य-चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही दहेज नहीं लेने-देने सम्बन्धी घोषणा-पत्र भी परतुत करना होगा संबंधित प्रशासी विभाग का दायित्व होगा कि पदधारक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन करा लेंगे।

(ड.) भविष्य में कोई प्रमाण पत्र/कागजात गलत अथवा असत्य पाये जाने पर श्री सुनील कुमार की नियुक्ति स्वतः समाप्त की जा सकती है। फर्जी प्रमाण-पत्र समर्पित करने की स्थिति में श्री कुमार पूर्णरूपेण उत्तरदायी माने जायेंगे इस संबंध में उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

(च) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1469, दिनांक-08.03.2021 के आलोक में श्री कुमार को किसी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद/ नशा सेवन नहीं करने संबंधी स्व-घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(छ) श्री सुनील कुमार को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ज) उनकी सेवा नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित की जायेगी। इस मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर LPA संख्या-387/2024 तथा LPA संख्या-402/2024 में पारित होने वाले न्याय निर्णय तथा अनुवर्ती विधिक कार्रवाई (यथा SLP आदि) से इनकी नियुक्ति एवं अन्य शर्तें प्रभावित होंगी।

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
